कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन (म.प्र.)

रायसेन दिनांक 21-6-1

::आदेश::

क्रमांक/6559/स्थापना/2017 :— म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी 3–10/2013/1/3 दिनांक 4.10.2013 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिला कार्यालय/अ.वि.अ. कार्यालयों/तहसील कार्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव व्यवसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल को भेजे गये थे । प्रोफशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड द्वारा सहायक ग्रेड–3/स्टेनो टायपिस्ट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उम्मीदवार चयनित कर सूची इस कार्यालय को भेजी गई थी । चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई ।

प्रथम दृष्ट्या प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर निम्नानुसार उम्मीदवारों को उनके नाम के समक्ष अंकित पद एवं वेतनमान में अस्थाई रूप से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	नाम एवं पता	वर्ग	पदनाम जिस पर नियुक्त किया गया है	पद का वेतनमान
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री प्रशांत यादव/नर्बदा प्रसाद यादव 12– फूटा मकबरा छोला रोड राधाकृष्ण कॉलोनी तहसील हुजूर भोपाल 462001	अनुसूचित जाति	सहायक ग्रेड–3	5200-20200+1900
2.	श्री मृदुल जैन/सुशील जैन पुलिस चौकी के सामने वार्ड नं. –18 माधवगंज हाट भिण्ड 477001	अनारक्षित	स्टेनो टायपिस्ट	5200-20200+1900

नियुक्ति की शर्तः—

1— उपरोक्त नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई होकर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गयीं हैं । परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने तथा परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने पर ही स्थाई किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी ।

2— परिवीक्षा अवधि में सेवाओं की आवश्यकता न होने अथवा आचरण नियमों का उल्लंघन होने की दशा में एक माह का वेतन भुगतान कर सेवायें समाप्त की जायेंगी । इसी प्रकार शासकीय सेवा त्यागने की दशा में एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन तथा भत्ते जमा करना अनिवार्य होगा ।

3— नियुक्त उम्मीदवार को एक सप्ताह में जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है । चिकित्सा प्रमाण पत्र में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी ।

4– नियुक्त उम्मीदवार को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यभार गृहण करना अनिवार्य है । नियत समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वंय निरस्त माना जायेगा ।

5– नियुक्ति के पश्चात अभिलेख का सत्यापन कराने पर कोई भी अभिलेख असत्य पाया जाता है अथवा पुलिस के द्वारा चरित्र सत्यापन में सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त कर प्रकरण पुलिस को सौंप दिया जावेगा ।

6– नियुक्त उम्मीदवार को जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा तत्पश्चात उनकी पदस्थापना जिला कार्यालय/अ.वि.अ. कार्यालयों/तहसील कार्यालयों में की जायेगी ।

7– नियुक्त उम्मीदवार के लिये म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/2003/नियम/चार दिनांक 13.4.2005 के तहत म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2.4. 2005 के तहत सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगें ।

8– म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.4.2005 में परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटोत्रा किया जायेगा ।

9– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है ।

कलेक्टर
जिला रायसेन
रायसेन दिनांक 21-6-17

पृ.कृ./6555/स्थापना/2017

प्रतिलिपिः–

1– सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2– प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व भवन अरेरा हिल्स भोपाल ।
3– आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल ।
4– सहायक संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग रायसेन ।
5– प्रभारी अधिकारी वित्त/नाजिर कार्यालय रायसेन ।
6– अनुविभागीय अधिकारी ———————(समस्त) जिला रायसेन ।
7– तहसीलदार ———————(समस्त) जिला रायसेन ।
8– संबंधित श्री ———————————————की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

कलेक्टर
जिला रायसेन